अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं..

वाद 105/18 हेमाराम / धन्नाराम बनाम

RCMS No 2018/00185

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

19/2/2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] अवकाश मे बाहर पधार है। अत: पत्रावली दिनांक 02/3/2021 को पेश हो

2/3/2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] अवकाश मे बाहर पधार है। अत: पत्रावली दिनांक 3/3/2021 को पेश हो

3/3/2021 वकील प्रार्थी उप0। मजीद बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/3/2021 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

18/3/2021 वकील प्रार्थी उप0 समयाभाव के आदेश नहीं लिखा जा सका वास्ते आदेश पत्रावली 15.4.2021 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

15/4/2021 वकील प्रार्थी उप0 प्रा.पत्र आदेश 11 नि 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है कि वाद [illegible] एवं [illegible] नहीं होने से [illegible] है पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 105/2019 **RCMS 2019/00185**

वादी

1. हेमाराम पुत्र पनाराम जाति कुमावत उम्र 59 साल निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रतिवादीगण

1. रामचन्द्र पुत्र प्रभूराम कुमावत
2. सुरेशचन्द पुत्र नटवरलाल कुमावत झालरा रोड़ कुचामनसिटी वगैरह

दावाः– इस्तकरारहक, भू–विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11(डी)सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनॉक 21.01.2020

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 15.04.2021

प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी के पुत्र नेमीचन्द पुत्र हेमाराम ने वाद सं. 199/2018 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र सं. 106/2018 नेमीचन्द बनाम बजरंगलाल कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 278, 806, 825, 826, 827, 2515/262, 2529/255, 2530/277, 2533/810 कुल रकबा 33.8058 हैक्टर भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में पेश किया। चूँकि उक्त भूमि जरिये निर्णय 24.06.2013 के राजकहक में पुनग्रहित कर नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी के नाम दर्ज कर दी गई है जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में कर दिया गया है, प्रतिवादी रामचन्द्र द्वारा वाद सं. 199/2018 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र 106/2018 मे आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को दिनॉक 11.12.2019 के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दिया गया, नेमीचन्द के पिता हेमाराम जी कि वाद सं. 199/2018 में भी पक्षकार थे उन्होने वाद सं. 199/2018 के निर्णय को छुपाते हुए द्वारा कस्बा कुचामनसिटी के उपरोक्त खसरान का वाद सं. 199/2018 की विषय वस्तु के संबंध मे न्यायालय को भ्रमित करते हुए वाद सं. 105/201[illegible] न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं इसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना[illegible] हेमाराम बनाम रामचन्द्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के तथ्यों को छिपाते हुए [illegible] प्राप्त किया है। चूँकि इस वाद की वादग्रस्त भूमि नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी के नाम दर्ज हो चुकी है एवं वाद के पठन से भी स्पष्ट होता है कि इस भूमि में आवासीय मकान बने हुए है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 के तहत बने सेड्यूल में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में वाद सुनने के अधिकार माननीय न्यायालय को है चूँकि वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तित होकर आबादी में दर्ज हो चुकी है एवं सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादग्रस्त भूमि में मकानात का निर्माण किया हुआ है कही पर भी कृषि कार्य नही किया जा रहा है, उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद सं. 199/2018 निर्णित किया जा चुका है, परन्तु पूर्व वाद के वादी के पिता द्वारा यह वाद माननीय न्यायालय को भ्रमित करते हुये तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है, अतः वाद वादी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

वादी वकील द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया, उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, बहस दौरान प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया तथा इसी भूमि को लेकर इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुए माननीय सिविल न्यायालय में भी प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य भी वादी द्वारा नही बताये गये है, वादी वकील ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिताजी के बंट में रखी गई है जिस पर आज दिन वादी के पिताजी का कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, उपरोक्त खसरा नम्बर 214 रकबा 0.14 हैक्टर से संबंधित वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण वादी के पुत्र नेमीचन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नही होने से दिनॉक 11.12.2019 को खारिज किये गये थे, वर्तमान जमाबंदी मुताबिक खसरा नम्बर 204 रकबा 0.17 हैक्टर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज है जो कृषि भूमि नही रही है तथा मौके पर भी अकृषि प्रयोजन उपयोग में आ रही है, प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही रहा है, इसलिए प्रकरण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रकरण इस न्यायालय एवं क्षेत्राधिकार का नही होने से खारिज किया जाता है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 15/4/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested